कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांकःरिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–17(1)/ 629. दिनांकः 23 2017,

सेवा मे,

प्रबन्धक/स्वामी,
मैसर्स आई केयर हॉस्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीटयूट,
द्वारा प्लाट न0 ई0–03ए0 सेक्टर–26 नौएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर,

विषयः **मैसर्स आई केयर हॉस्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीटयूट भवन द्वारा प्लाट न0 ई0–03ए0, सेक्टर–26 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित भवन (ए यूनिट ऑफ ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट) की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का 2017–2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः यूआईडीः2016/21722/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5209/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम श्री सुशील कुमार यादव द्वारा किया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्याःरिनु/एफएसओ/प्रथम/17 दिनांकः 13–04–2017 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद श्री अक्षय रंजन शर्मा द्वारा अपनी संस्तुति आख्या 17–04–2017 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत हैः–

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरणः– रिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–16(1)/451 दिनांकः 13–06–2016

भवन की संरचनाः– कुल प्लाट एरिया–4000.00 वर्ग मीटर है जिसमे निर्मित भवन का फ्लोरवाईज एरियाा विवरण निम्नवत हैः–

कमांक	नाम ब्लाक	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	प्रथम कवर्ड एरिया वर्ग मी0	द्वितीय कवर्ड एरिया वर्ग मी0	तृतीय कवर्ड एरिया वर्ग मी0	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0।
1	ब्लाक–ए0	261.606	32.076	–	–	–	08.00
2	ब्लाक–बी0	635.822	635.822	635.822	635.822	–	13.90
3	ब्लाक–सी0	314.159	309.534	309.534	–	383.248	11.90

भवन का अधिभोग एवं हजार्डस श्रेणीः– प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार इन्स्टीटयूशनल भवन ग्रुप सी0 श्रेणी के अन्तर्गत वगीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 45.00 मीटर रोड उपलब्ध है। तथा 04 अदद प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई–06.00 मीटर है।

2–सैटबैकः– प्रश्नगत भवन के सैटबेक अग्रभाग–09 मी0 एवं चारो 06–06 मीटर उपलब्ध है जिसे सदैव अवरोध मुक्त रखा जाय इसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण मान्य नही होगा।

3–निकास मार्गः– निर्मित भवन मे 04 स्टेयरकेस निर्मित है, विगत वर्ष की आख्यानुसार चौडाई कमशः 1.50, 1.65, 1.30 एवं 1.35 मी0 उपलब्ध है, जो ततसमय प्रवृत्त प्राविधानों के अनुसार है। प्रश्नगत भवन विद्यमान श्रेणी के अन्तर्गत है, स्टेयर (निकास मार्ग) की ट्रेवलिंग डिस्टेन्स मानकों के अनुरूप अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है ।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– प्रश्नगत भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0–3844 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1–होजरील/डाउनकमरः– प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व मानकों के अनुसार स्थापित है।

2–टेरेस टैंक :–प्रश्नगत भवन मे टेरेस पर 15,000 एवं 10,000 हजार लीटर पानी की क्षमता का टेरेस टैंक एवं इनके पास 450 एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।

3–भूमिगत टैंकः– प्रश्नगत भवन में समस्त टावरों की अग्निशमन व्यवस्था हेतु 1,00,000 लीटर का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाया गया।

4–फायर पम्पः– प्रश्नगत भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित फायर पम्प व इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प तथा 180 एल0पी0एम0 का एक अदद जौकी पम्प स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये ।

5–वेटराइजरः प्रश्नगत भवन के वेटराइजर मानकों के अनुसार स्थापित एवं पम्प रूम से संयोजित है ।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

6–प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर्स) प्रश्गत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0–2190 मानक के अनुसार स्थापित पाये गये।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः–प्रश्नगत भवन के समस्त तलों पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 के मानकों के अनुरूप स्थापित पाया गया।

8–यार्ड हाइड्रेण्टसः प्रश्नगत भवन परिसर के चारों तरफ यार्ड हाईड्रेण्टस स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।

9–मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानक के अनुसार स्थापित है।

10–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम मानक के अनुसार स्थापित है।

11–एग्जिट साईनेजः– प्रशनगत भवन के सभी तलों पर एग्जिट साईनेज स्थापित पाये गये।

12–पी0ए0 सिस्टमः– प्रशनगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स आई केयर हॉस्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीटयूट भवन द्वारा प्लाट न0–ई–3ए0 सेक्टर–26 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित भवन (ए यूनिट ऑफ ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट) का वर्ष 2017–2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक भवन मे अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।

3–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्राुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6–भवन मे विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

9–उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

प्रतिलिपिः 1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।